न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 02/2018

खातून बेगम पुत्री स्व0 मीर खॉ जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला, नागौरी पुलिया वर्तमान निवासी नला मौहल्ला दौसा जिला दौसा राज0 ...अपी0

बनाम

1.दाउद खॉ पुत्र स्व0 मीर खॉ
2.सिराज खा पुत्र स्व0 मीर खॉ
3.मौहम्मद ईस्माईल खॉ पुत्र स्व0 मीर खॉ
4.नजरु खॉ पुत्र स्व0 मीर खॉ जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला, नागौरी पुलिया तहसील व जिला दौसा राज0
5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
6.उप पंजीयक दौसा जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 24.08.2000
व न्यायालय तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 16.05.2018**

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा दिनाक 24.08.2000 को ग्राम कस्बा दौसा तहसील दौसा का नामान्तरकरण संख्या 524 विरासत के आधार रेस्पो0 सं0 1लगायत 4 के नाम भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

तामिल कुनिंदा की रिपोर्टनुसार रेस्पो0 सं0 1 लगायत 3 द्वारा तामिल लेने से इंकार किया। अपीलांट व रेस्पो0 सं0 4 स्वयं उपस्थित है। उभय पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। चूंकि मामला सीधा ही निस्तारण करने से पूर्व उसकी जॉच करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उभय पक्ष व राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 524 दिनांक 24.08.2000 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official